न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 23/2016, जी.सी.एम.एस. नं. 2016/00105

1. चौथी } पिसरान सुरमी जाति माली निवासी खोहरी तहसील व जिला करौली
2. लोहरे }

अपी0

बनाम

1. मंगल पुत्र सुरमी
2. भरतलाल } पिसरान मुंशी
3. एमपी }
4. विजय }
5. कमला बेवा मुंशी (हजफ)
6. हरीसिंह पुत्र मांगी
7. धरमसिंह पुत्र मांगी
8. सरूपी बेवा मांगी

} सभी जाति माली निवासी खोहरी तहसील व जिला करौली, राज0।

9. गुलबदन पुत्र मांग्या जाति तेली (मुसलमान) निवासी खोहरी तहसील करौली
10. हुकम पुत्र बालो जाति माली निवासी खोहरी हाल धॉयपुरा तहसील करौली
11. रामश्री } पुत्रीयान बाला जाति माली निवासी खोहरी हाल निवासी अटा तहसील
12. हल्की } व जिला करौली राज.
13. हीरालाल पुत्र कन्हैया जाति ब्राहम्ण निवासी खोहरी तहसील करौली
14. राधे पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी खोहरी तहसील करौली
15. बहादुर सिंह पुत्र सियाराम जाति माली निवासी खोहरी तहसील करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली मु0न0 18/2013 निर्णय दिनांक 19.11.2015)

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:31 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अभिभषाक

1. अपीलांट की ओर से श्री ललित शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री रामगोपाल शर्मा

निर्णय दिनांक 29.09.2021

Scanned with CamScanner

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 18/2013 निर्णय दिनांक 19.11.2015 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपी0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. नं. 1 ल0 14 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 928 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा बारानी 1 ग्राम खोहरी पटवार हल्का कैलादेवी तहसील करौली में स्थित है। जिसको सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे थे, किन्तु अब संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं है क्योंकि गैरसायलान/रेस्पों., सायलान/अपी0 के कब्जे काश्त में रूकावट डालते है तथा उक्त जमीन के अदंर नीव खोद कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर मकानात बनाने पर तुले हुये है। उक्त आराजी में सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. नं. 1 ल0 8 का 1/3 हिस्सा है तथा गैरसायलान/रेस्पों. सं. 9 का 2/9 हिस्सा है व गैरसायलान/रेस्पों. नं. 10 ल0 12 का 1/9 हिस्सा है व गैरसायलान/रेस्पों. नं. 13 का 1/6 हिस्सा व गैरसायलान/रेस्पों. नं. 14 का 1/6 हिस्सा है। सायलान/अपी0 ने नींव खोदने से मना किया तो गैरसायलान/रेस्पों. झगडा करने पर आमादा हो गये और सायलान/अपी0 को जमीन व कब्जे से बेदखल करने की धमकी देने लग गये है और कहते है कि उक्त जमीन में हम मकान बनायेंगे तथा कृषि भूमि को अकृषि में बदल देगें और तुम्हारें कब्जे काश्त से तुम्हें बेदखल कर देगें। सायलान/अपी0, गैरसायलान/रेस्पों. की इस ताकत का मुकावला करने में असमर्थ है। इसलिये सायलान/अपी0, गैरसायलान/रेस्पों. को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। दावे के निर्णय में अभी समय लगने की संभावना है। दौराने दावा यदि गैरसायलान/रेस्पों. अपने मकसद में कामयाब हो गये तो सायलान/अपी0 को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि दौरान दावा गैरसायलान/रेस्पों. को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावें कि वह आराजी ख.नं. 928 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम खोहरी तहसील करौली स्थित में सा[illegible]पी0 के हिस्से 2/15 में गैरसायलान/रेस्पों. किसी प्रकार की [illegible] ना किसी दीगर से करावें एवं ना ही किसी प्रकार की मकानी[illegible] करें [illegible] प्रकार कि इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible]लान/अपी0 का प्रार्थना पत्र खारिज होने से अपी0/सायलान के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0/सायलान द्वारा अपील पेश की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.11.2015 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपी0 व रेस्पों. सं. 1 ल0 14 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 928 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा बारानी 1 ग्राम खोहरी पटवार हल्का कैलादेवी तहसील व जिला करौली में स्थित है। जिसको अपी0 व रेस्पों. संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे थे किन्तु अब संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं है क्योंकि रेस्पों., अपी0 के कब्जे काश्त में रूकावट डालते है तथा उक्त जमीन के अदंर नीव खोदकर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर मकानात बनाने पर तुले हुये है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कोई गौर नहीं फरमाया और अपी0 का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है जो काबिले निरस्तनीय है। उक्त विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है, जिसमें मकान बनाने का कोई भी पक्षकार को कोई अधिकार नहीं है ना ही एक दूसरे को बेदखल करने का कोई अधिकार है। संयुक्त कब्जे काश्त में रेस्पों. बाधा पहुंचा रहे है। इन सभी तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया है और प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। दावा व प्रार्थना पत्र पेश करते वक्त रेस्पों. सं. 13 खातेदार काश्तकार था जिसने दौराने दावा उक्त आराजी में स्थित अपना 1/6 हिस्सा रेस्पों. सं. 15 बहादुर सिंह को विक्रय कर दिया है। इसलिए इसको उक्त अपील में पार्टी बनाया जाना आवश्यक हुआ है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

4. विद्वान रेस्पों0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि उक्त विवादित आराजीयात में रेस्पों. सं. 2, 3 व 4 के पिता मुंशी का 1/4 हिस्सा, रेस्पों. सं. 1 मंगल का 1/4 हिस्सा, अपी0 सं. 1 चौथी का 1/4 हिस्सा व अपी0 सं. 2 लौहरे का 1/4 हिस्सा बखूवी साबित है। उक्त विवादित आराजीयात पर रेस्पों. सं. 2 ल0 5 द्वारा नींव खोदकर मकान बनाने की बात अपी0 ने झूठी लिखवाई है। उक्त भूमि काश्त है बेदखल [illegible] वाली बात भी कतई झूठी है। दिनांक 04.03.2013 को किसी प्रकार [illegible] तथ्यों पर आधारित है। अपी0 के मन में पूर्ण रूपेण बद[illegible] संपूर्ण आराजी को बिना बंटबारा कराये ही हड़पने पर तुले हुये है। रेस्पों. सं. 2 ल0 4 को अपी0 किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5 उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। मुताबिक नकल जमाबंदी सम्बत् 2069–72 के खाता संख्या 80 में ख.नं. 928 परेवा पुत्र नन्दा हि. 1/3 मुन्शी मंगल चौथी लोहरे पि. सुरमी हि. 4/15 हरीसिंह धर्मसिंह पि. मांगी सरूपी बेवा मांगी हि. 1/15 काछी सा.देह रामश्री पत्नि लोहरची हि. 1/6 जाति माली नि. करौली मानबाई पत्नि गन्नू हि. 1/6 जाति माली सा. करौली ना.न. 879, 880 के नाम दर्ज है। इसका तात्पर्य है कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विवादित आराजी को यदि कृषि से भिन्न कार्य में उपयोग में लिया जाता है तो पक्षकार सक्षम न्यायालय/कार्यालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टव्य नहीं होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के पश्चात किया गया है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0नं0 18/2013 निर्णय दिनांक 19.11.2015 को यथावत रखा जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.9.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner